LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Monday, 02 April 2018 / 12 Chaitra 1940 (*Saka*)

No. 75

2.09 PM **Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

1. 2.09 PM **Obituary Reference :**
The House paid homage to the three Army personnel and four civilians killed in encounter with terrorists in Shopian & Anantnag in Jammu & Kashmir on 01 April 2018 and observed two minutes silence as a mark of respect to the departed souls.

2. 2.14 PM **Special Mention(Rule-280) :**
The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:
1. Shri S.K. Bagga *(Minister of Social Welfare intervened)*
2. Smt. Bandana Kumari
3. Shri Som Dutt *(Minister of PWD intervened)*
4. Shri Surender Singh
5. Shri Nitin Tyagi
6. Shri Om Prakash Sharma
7. Shri Narayan Dutt Sharma
8. Shri Anil Kumar Bajpai
9. Shri Somnath Bharti *(Minister of PWD intervened)*
10. Shri Naresh Yadav

3. 2.46 PM **Calling Attention (Rule-54) :**
Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker called the attention of the **Hon'ble Minister of Social Welfare** towards *'situation arising out of the decision of Hon'ble Supreme Court of India regarding Scheduled Caste & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989'*.
The following Members participated in the Discussion :
1. Shri Ajay Dutt
2. Ch. Fateh Singh
3. Shri Manoj Kumar
4. Shri Sandeep Kumar
5. Shri Vishesh Ravi
6. Shri Jagdish Pradhan
7. Shri Madan Lal
8. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition
9. Shri Somnath Bharti

Shri Rajendra Pal Gautam, Hon'ble Minister of Social Welfare replied.

4. 4.24 PM **The Chair adjourned the House for 30 Minutes for Tea-Break.**

5. 5.05 PM **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in-Chair.

6. 5.05 PM **Short Duration Discussion (Rule-55) :**
Shri Saurabh Bharadwaj initiated discussion on the situation arising out of *"Officers of GNCT especially those belonging to IAS/DANICS cadre not attending meetings/phone calls/messages related to public works and official matters of MLAs"*.
The following Members participated in the Discussion :
1. Shri Pankaj Pushkar
2. Shri Madan Lal
(5.59 PM : Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker in-Chair)
3. Ms. Alka Lamba
*(**6:04 PM** : The Chair extended the sitting of the House upto 7.00 PM)*
4. Shri Manjinder Singh Sirsa
(6.23 PM : Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair)
5. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition
6. Shri Gulab Singh
7. Shri Surender Singh

Shri Saurabh Bharadwaj moved the following Resolution with the leave of the House :
"This House in its sitting on 02 April 2018 Resolves that :
Whereas the BJP has been using some of the officers of IAS/AGUMT/DANICS as a tool for creating hurdles in the governance of Delhi.
Whereas there have been several instances where Assembly Committees had submitted reports holding Senior IAS officers guilty of dereliction of duty and alleged involvement in Corruption. Even after those reports being adopted by the Delhi Assembly, there has been not a single action against such errant officers.

Whereas there have been instances that IAS officers who have acted against the public interest, created hurdles in the projects of Delhi Govt and had been held guilty by Assembly Committees, such IAS officers have been rewarded by BJP's Central Govt with plum postings and promotions.

Whereas the IAS Association and other associations have behave as Khap Panchayats to promote the political interests of BJP by stalling the works of elected Govt of Delhi.

Whereas some IAS and DANICS officers have been acting against their rules of conduct by not meeting the elected representatives of Legislative Assembly of Delhi

This House strongly condemns the role of Chief Secretary Mr Anshu Prakash and BJP's Central Govt in creating and aggravating this situation in Delhi.

This House directs the Chief Secretary of Delhi Mr Anshu Prakash to ensure that the conduct of officers is strictly as per guidelines of official dealings between Administration and Member of Parliament/state Legislatures as issued from time to time by Central Govt and the State Govt."

*(**6.58 PM** : Shri Manjinder Singh Sirsa, Member of BJP walked out of the House in protest.*

***6.59 PM** : Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition and Shri Jagdish Pradhan, Member of BJP also walked out of the House in protest.)*

The Resolution was put to vote and adopted by voice vote.

7. 7.02 PM **Shri Vishesh Ravi** moved the following Motion with the leave of the House :

"This House agrees with the concerns raised by the Members regarding increasing incidences of defiance, discourteous behaviour and violation of protocol norms by the Government officers towards the elected Members of this House;

This House also therefore, agrees to constitute a 'House Committee on Violation of Protocol Norms and Contemptuous Behaviour by Government Officers with MLAs';

The Committee shall consist of the following Members and the Hon'ble Speaker shall appoint one of the Members of the Committee as its Chairperson:

1 Shri Saurabh Bharadwaj
2 Shri Sanjeev Jha
3 Shri Akhilesh Pati Tripathi
4 Ch. Fateh Singh
5 Ms. Bhawna Gaur
6 Shri Som Dutt
7 Shri Vishesh Ravi
8 Shri Pankaj Pushkar
9 Shri Surender Singh

That the terms of reference of the Committee shall be:

(a) Examine every complaint referred to it by the Speaker relating to –
 I. violation of protocol norms laid down from time to time regarding official dealings with Members;
 II. violation of instructions or guidelines issued by the Government regarding official dealings between Administration and Members; and
 III. discourteous behaviour by Government servants with a Member during official dealings.

(b) Make such recommendations as it may deem fit.

(c) The procedure which shall be followed by the Committee for examining complaints referred to it shall be, so far as may be, the same as the procedure for inquiry and determination by the Committee of Privileges, insofar as it relates to any question of breach of privilege of the House or a Member.

(d) The Committee shall be free to enlarge the scope of issues under examination, if needed, subject to approval of Hon'ble Speaker.

(e) The Rules governing powers and functioning of the Committee on Privileges would also apply to this Committee, mutatis mutandis.

*(**7:06 PM** : The Chair extended the sitting of the House for 15 Minutes.)*

Shri Somnath Bharti also expressed his views.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

8. 7.15 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Tuesday, 03 April 2018.**

Delhi
02 April, 2018

C. Velmurugan
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

सोमवार, 02 अप्रैल, 2018 / 12 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या–75

2.09 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1. 2.09 बजे **निधन संबंधी उल्लेख :**
जम्मू–कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के तीन जवानों और चार नागरिकों की मौत के प्रति सदन द्वारा शोक संवेदना व्यक्त की गई तथा दिवंगत आत्माओं के सम्मान के लिए दो मिनट का मौन धारण किया गया।

2. 2.14 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280) :**
निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये:–
   1. श्री एस.के.बग्गा *(समाज कल्याण मंत्री ने हस्तक्षेप किया)*
   2. श्रीमती बंदना कुमारी
   3. श्री सोम दत्त *(लोक निर्माण मंत्री ने हस्तक्षेप किया)*
   4. श्री सुरेन्द्र सिंह
   5. श्री नितिन त्यागी
   6. श्री ओमप्रकाश शर्मा
   7. श्री नारायण दत्त शर्मा
   8. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
   9. श्री सोमनाथ भारती *(लोक निर्माण मंत्री ने हस्तक्षेप किया)*
   10. श्री नरेश यादव

2.46 बजे **ध्यानाकर्षण (नियम–54) :**

3. **सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष** ने *"अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति"* के संबध में **माननीय समाज कल्याण मंत्री** का ध्यान आकर्षित किया :
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:–
   1. श्री अजय दत्त
   2. चौ. फतेह सिंह
   3. श्री मनोज कुमार
   4. श्री संदीप कुमार
   5. श्री विशेष रवि
   6. श्री जगदीश प्रधान
   7. श्री मदन लाल
   8. श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष
   9. श्री सोमनाथ भारती

श्री राजेन्द्रपाल गौतम, माननीय समाज कल्याण मंत्री ने उत्तर दिया।

4. 4.24 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश के लिए 30 मिनट तक के लिए स्थगित की।**

5. 5.05 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

6. 5.05 बजे **अल्पकालिक चर्चा (नियम–55):**
श्री सौरभ भारद्वाज ने *"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अधिकारियों विशेषकर आई.ए.एस./दानिक्स कैडर के अधिकारियों द्वारा जनता के कार्यों तथा विधायकों के सरकारी मामलों से संबंधित मीटिंग/फोन कॉल/मैसेज को अटेंड न करने से उत्पन्न स्थिति"* के संबध में चर्चा प्रारम्भ की।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:–
   1. श्री पंकज पुष्कर
   2. श्री मदन लाल

(5.59 : बजे सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं)
   3. सुश्री अलका लाम्बा

[***6.04 बजे :*** *अध्यक्ष महोदय ने बैठक की अवधि सायं सात बजे तक के लिए बढ़ाई*]
   4. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

(6.23 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
   5. श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष
   6. श्री गुलाब सिंह
   7. श्री सुरेन्द्र सिंह

श्री सौरभ भारद्वाज ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:
"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि:
जैसा कि, भारतीय जनता पार्टी, आई.ए.एस/ए.जी.यू.एम.टी/ दानिक्स के कुछ अधिकारियों को दिल्ली के शासन में रुकावट डालने के लिए औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है,

जैसा कि, ऐसे कई उदाहरण सामने आये हैं, जब सदन की समितियों ने कर्तव्य अवहेलना और भ्रष्टाचार में कथित रूप से शामिल होने के लिए वरिष्ठ आई.ए.एस अधिकारियों को दोषी ठहराने के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। उन प्रतिवेदनों को दिल्ली विधानसभा द्वारा स्वीकार किये जाने के बावजूद, ऐसे दोषी अधिकारियों के विरूद्ध एक भी कार्यवाही नहीं की गई,

जैसा कि, इस तरह के उदाहरण हैं कि ऐसे आई.ए.एस अधिकारी, जिन्होंने जनहित के विरूद्ध कार्य किया है, दिल्ली सरकार की परियोजनाओं में रूकावट डाली है तथा उन्हें विधानसभा की समितियों द्वारा दोषी ठहराया गया, ऐसे आई.ए. एस अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार द्वारा बेहतरीन पोस्टिंग और पदोन्नति से पुरूस्कृत किया गया है,

जैसा कि, आई.ए.एस एसोसियेशन तथा अन्य संगठनों ने निर्वाचित दिल्ली सरकार के कार्यों को शिथिल करके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए खाप पंचायतों की तरह व्यवहार किया है,

जैसा कि, कुछ आई.ए.एस और दानिक्स अधिकारी दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बैठक न करके अपने आचरण के विरूद्ध कार्य कर रहे हैं,

यह सदन दिल्ली में इस स्थिति को उत्पन्न करने तथा बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव श्री अंशु प्रकाश तथा भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार की भूमिका की कड़ी निंदा करता है,

यह सदन दिल्ली के मुख्य सचिव श्री अंशु प्रकाश को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है कि अधिकारियों का आचरण, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये, प्रशासन और संसद/विधानमंडल सदस्य के मध्य शासकीय व्यवहार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के पूर्णतः अनुरूप हो।''

*(**6.58 बजे :** भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।*

***6.59 बजे :** श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री जगदीश प्रधान ने भी विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया)*

संकल्प को मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

7. 7.02 बजे **श्री विशेष रवि** ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

''इस सदन के निर्वाचित सदस्यों के प्रति सरकारी अधिकारियों द्वारा अवज्ञा, अनादरपूर्ण व्यवहार तथा प्रोटोकॉल मानकों के उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं के संबंध में सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से यह सदन सहमत है,

इसलिए, यह सदन 'सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल मानकों का उल्लंघन और विधायकों के साथ अवमाननाजनक व्यवहार के संबंध में सदन की समिति' के गठन के लिए सहमत है,

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा माननीय अध्यक्ष समिति के किसी सदस्य को इसका सभापति नियुक्त करेंगे:

1. *श्री सौरभ भारद्वाज*
2. *श्री संजीव झा*
3. *श्री अखिलेशपति त्रिपाठी*
4. *चौ. फतेह सिंह*
5. *सुश्री भावना गौड़*
6. *श्री सोमदत्त*
7. *श्री विशेष रवि*
8. *श्री पंकज पुष्कर*
9. *श्री सुरेन्द्र सिंह*

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

क. अध्यक्ष द्वारा इसे सौंपी गई प्रत्येक शिकायत की जांच करना, जो संबंधित हो–

I) सदस्यों के साथ शासकीय व्यवहार से संबंधित समय–समय पर बनाये गये प्रोटोकॉल मानकों का उल्लंघन,

II) प्रशासन तथा सदस्यों के मध्य शासकीय व्यवहार के संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों या मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन, और

III) शासकीय व्यवहार के दौरान किसी सदस्य के साथ सरकारी सेवक द्वारा अनादरपूर्ण आचरण

ख. ऐसी सिफारिशें करना, जो यह उचित समझे

ग. समिति को सौंपी गई शिकायतों की जांच करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जहां तक संभव हो, विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच और निर्धारण की प्रक्रिया के समान होगी, जहां तक यह सदन या किसी सदस्य के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न हो,

घ. समिति, यदि आवश्यक हो तो, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, जांच के अधीन विषयों का दायरा बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगी,

ड. समिति उन सभी शक्तियों और प्रतिरक्षाओं का उपयोग करेगी, जो विधानसभा की मौजूदा समितियों के लिए उपलब्ध हैं।

[***7.06 बजे :*** *अध्यक्ष महोदय ने सदन की बैठक की अवधि 15 मिनट के लिए बढ़ाई*]

श्री सोमनाथ भारती ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

संकल्प को मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से पारित हुआ।

8. 7.15 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली
02 अप्रैल, 2018

सी. वेलमुरूगन
सचिव